दिनांक 04.02.2013 को आयोजित 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project-ILSP)' की राज्य स्तरीय परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 04.02.2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की राज्य स्तरीय परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक मे स्टीयरिंग कमेटी निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री राकेश शर्मा, अवस्थापना विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एस0 रामास्वामी प्रमुख सचिव, नियोजन एवं वन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री विनोद फोनिया, सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री मोनीष मलिक, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन।
5. सुश्री0 ज्योत्सना सितलिंग, परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।
6. श्री बी0पी0 गुप्ता, अपर निदेशक/परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
7. श्री पवन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।

विशेष आमंत्रित सदस्य:–

1. श्री आर. शर्मा, सहायक महाप्रबन्धक एस.बी.आई. राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी
2. श्री अमोद शरन, प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी।
3. श्री वी.एस. खत्री, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड।

अन्य प्रतिभागी :–

1. श्री पी0के0 सिंह उप निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
2. श्री विरेन्द्र सिंह, सूचना अधिकारी मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, वित्तीय सलाहाकर, बैंकिंग।
4. श्री तरूण अग्रवाल–वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
5. श्री ललित कुमार – प्रबन्धक वित्त, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति

बैठक से पूर्व श्री राकेश शर्मा, अवस्थापना विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठक होने के कारण मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन उक्त बैठक में प्रतिभाग करने में असमर्थ है व उनके द्वारा मौखिक निर्देश दिये गये है कि उक्त बैठक को सम्पादित कर दिया जाय।

उक्त निर्देश के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना द्वारा सभी उपस्थित सदस्यो का स्वागत किया गया तथा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का ऐजेन्डा कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुत किया गया। बैठक की कार्यसूची के अनुसार उक्त बैठक का कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:–

कार्यसूची PSC:2.01 :

दिनांक 03.10.2012 को आयोजित परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

दिनांक 03.10.2012 को आयोजित परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक – 1(पृष्ट सं0 1 से 9) पर रक्षित है। संलग्नक 1 पर रक्षित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करने व उसकी पुष्टि हेतु निम्न प्रस्ताव माननीय सदस्यो के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है–

"संकल्पित है कि परियोजना स्टीयरिंग कमेटी द्वारा संलग्नक 1 पर रक्षित परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की दिनांक 03.10.2012 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लिया जाता है व उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।"

स्टीयरिंग कमेटी द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कार्यसूची PSC:2.02 :

दिनांक 03.10.2012 को आयोजित परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक मे लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति :

दिनांक 03.10.2012 को आयोजित परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक मे लिये गये निर्णयो के अनुपालन की स्थिति से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यसूची PSC:2.03 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का अनुमोदन

1. अवस्थापना विकास आयुक्त द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2013–12 पर चर्चा के दौरान आपत्ति व्यक्त की गई एवं सुझाव दिया गया कि चूंकि उक्त परियोजना ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित की जा रही है, अतः परियोजना के किसी भी कम्पोनेंट का सम्पादन जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा किये जा रहे कार्य ग्राम्य विकास से संबंधित कार्यो से पृथक है एवं वर्तमान में जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा की जा रही है।
2. अवस्थापना विकास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि पूर्व में संचालित हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना को ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कियान्वित किया गया है। अतः समेकित आजीविका संहयोग परियोजना को भी ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ही कियान्वित किया जाना उचित रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने ग्राम्य स्तरीय संगठनों जैसे पंचायती राज संस्थाएं व अन्य संस्थाओं को सहयोग करते हुए गतिविधियों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
3. इस क्रम में उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना पर पुनः विचार कर पूरी परियोजना को ग्राम्य विकास के अन्तर्गत ही संचालित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाय व आईफेड तथा राज्य के स्तर पर विचार करते हुए परियोजना का पुनः re –structure किया जाय। यदि आवश्यकता हो तो इस विषय पर आईफेड से भी आकस्मिक बैठक आयोजित कर ली जाय।

अवस्थापना विकास आयुक्त द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उल्लेखित सुझावों/निर्देशों पर कार्यवाही कर उक्त रूप से संशोधित प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किया जाय।

उक्त के उपरान्त सचिव ग्राम्य विकास द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।